प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 02 जून, 2022

विषय:- जिला कारागार, बुलन्दशहर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विनोद पुत्र श्री विक्रम, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14659/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-12.04.2022) दिनांक-06.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बुलन्दशहर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विनोद पुत्र श्री विक्रम, निवासी रामगढ़ी, थाना-खुर्जा नगर, जनपद-बुलन्दशहर का है। बंदी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 10.10.1997 को अपने 06 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी तमन्चों से गोली मारकर जगदीश व श्यौदान की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-154/1998 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 307/149 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 09.08.2001 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 01.07.2003 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 09.03.2010 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 07.03.2021 तक 16 वर्ष 02 माह 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 02 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। **जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी द्वारा भविष्य में भी अपराध कारित किये जाने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, दोनों पक्षों के बीच विवाद अन्तिम रूप से समाप्त नहीं होने, परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।**

बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 10.10.1997 को अपने 06 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी तमन्चों से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रोबेशन बोर्ड द्वारा प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी विनोद पुत्र श्री विक्रम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या-715/2021 विनोद बनाम उ0प्र0 राज्य व 11 अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.11.2021 से आच्छादित प्रकरण तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, बुलन्दशहर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विनोद (बन्दी संख्या-12/11) पुत्र श्री विक्रम, निवासी जनपद-बुलन्दशहर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-70/2022/1352(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, बुलन्दशहर।
3- नोडल अधिकारी/ वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-70/2022/1352/22-2-2022-17(478)/2021

दिनांक 02 जून, 2022 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, बुलन्दशहर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विनोद पुत्र श्री विक्रम, निवासी रामगढ़ी, थाना-खुर्जा नगर, जनपद-बुलन्दशहर का है। बंदी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 10.10.1997 को अपने 06 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी तमन्चों से गोली मारकर जगदीश व श्यौदान की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-154/1998 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 307/149 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 09.08.2001 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 01.07.2003 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 09.03.2010 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 07.03.2021 तक 16 वर्ष 02 माह 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 02 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। **जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी द्वारा भविष्य में भी अपराध कारित किये जाने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, दोनों पक्षों के बीच विवाद अन्तिम रूप से समाप्त नहीं होने, परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।**

बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 10.10.1997 को अपने 06 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी तमन्चों से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रोबेशन बोर्ड द्वारा प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी विनोद पुत्र श्री विक्रम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।